न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 06/21 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2021/199

उनवान

1. पप्पू पुत्र कीरत सिंह
2. सुल्तान पुत्र मिहीलाल

} जातिगण जाटव निवासी ग्राम गामरी तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. कुम्हेर सिंह पुत्र कप्तान सिंह
2. दुर्ग सिंह पुत्र कप्तान सिंह
3. सियादुलारी पत्नी केशव सिंह
4. सुखदेव पुत्र केशव सिंह
5. कल्याण सिंह पुत्र केशव सिंह
6. प्रकाश देई पत्नी रामदीन

} समस्त जातिगण ठाकुर निवासी ग्राम कुजर्राकला तहसील बाडी जिला धौलपुर।

7. रमुजी पुत्र जगन्नाथ (फौत)
   - 7/1. बैजन्ती वेवा रमुजी
   - 7/2. विनोद
   - 7/3. दुलारे
   - 7/4. संजू
   - 7/5. पवन
8. मूंगाराम पुत्र भूप सिंह

} समस्त जातिगण ब्राहम्ण निवासी ग्राम कुजर्राकला तहसील बाडी जिला धौलपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

9. गिर्राजी वेवा केदार
10. रामपत पुत्र स्व0 केदार
11. रामहेत पुत्र स्व0 केदार
12. सुखदेव पुत्र स्व0 केदार
13. वासदेव पुत्र स्व0 केदार
14. गुड्डी पुत्री स्व0 केदार
15. मनीषा पुत्री स्व0 केदार
16. हरी सिंह पुत्र फेरन सिंह
17. रामभरोसी पुत्र फेरन सिंह
18. कल्ला पुत्र मोहन सिंह
19. राममुकेश पुत्र मोहन सिंह

} समस्त जातिगण गुर्जर निवासी ग्राम गामरी तहसील बाडी जिला धौलपुर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

20. रामा पुत्र अतर सिंह
21. पप्पू पुत्र अतर सिंह
22. रामसहाय पुत्र अतर सिंह
23. लाखन पुत्र अतर सिंह
24. श्रीधर पुत्र अतर सिंह
25. लवकुश पुत्र अतर सिंह
26. पूरन सिंह पुत्र छोटे
27. रघुवीर पुत्र स्व0 दुर्गे
28. सूरज
29. अंकित
30. धर्मे
31. सियाराम पुत्र पंछी
32. विवान सिंह पुत्र पंछी
33. दरियाब सिंह पुत्र बाबू

समस्त जातिगण गुर्जर निवासी ग्राम गामरी तहसील बाडी जिला धौलपुर।

34. पीतम सिंह पुत्र बीधा
35. कैलाशी पुत्र बीधा
36. वीरी सिंह पुत्र बीधा
37. भरत सिंह पुत्र बीधा

समस्त जातिगण जाटव निवासी ग्राम कुदिन्ना तहसील बाडी जिला धौलपुर।

38. चरन सिंह पुत्र भगोला जाति जाटव निवासी ग्राम गामरी तहसील बाडी।

39. रामेश्वर पुत्र स्व0 हाकिम सिंह
40. रनवीर पुत्र स्व0 हाकिम सिंह
41. प्रेम पुत्री स्व0 हाकिम सिंह
42. भूदेवी पुत्री स्व0 हाकिम सिंह
43. जल सिंह पुत्र मिटठू
44. बेताल सिंह पुत्र मिटठू
45. कलुआ पुत्र मुख्त्यार
46. गुमान सिंह पुत्र मुख्त्यार
47. रामदीन पुत्र मुख्त्यार
48. परषोत्तम पुत्र मुख्त्यार

समस्त जातिगण गुर्जर निवासी ग्राम गामरी तहसील बाडी जिला धौलपुर।

49. मुन्ना पुत्र स्व0 विष्णु
50. रामखिलाडी पुत्र चौर सिंह
51. लखनलाल पुत्र चौर सिंह
52. हरभेजी पत्नी स्व0 मनीराम
53. कमल सिंह पुत्र स्व0 मनीराम
54. वीपी पुत्र स्व0 मनीराम
55. शान्ती वेवा सहाब सिंह
56. दीनदयाल पुत्र स्व0 सहाब सिंह

समस्त जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम गामरी तह0 बाडी जिला धौलपुर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

57. परसराम पुत्र स्व0 सहाब सिंह
58. धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 सहाब सिंह
59. रेखा पुत्री स्व0 सहाब सिंह
60. छतर सिंह पुत्र कीरत सिंह
61. प्रेम सिंह पुत्र कीरत सिंह
62. मंगल सिंह पुत्र कीरत सिंह
63. तिलक सिंह
64. बद्री पुत्र स्व0 अंगना
65. राजेश पत्नी स्व0 सुल्तान सिंह

} समस्त जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम गामरी तह0 बाडी जिला धौलपुर।

66. मीरा देवी पत्नी भगवान सिंह जाति कोली निवासी ग्राम भौनीपुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।
67. किशनदेई पत्नी लक्ष्मी पुत्री विकरी जाति जाटव निवासी खेरागढ जिला आगरा।
68. पूरन पुत्र उम्मेदी जाति जाटव निवासी ग्राम गामरी तहसील बाडी।
69. राधेश्याम पुत्र भौजीराम, जाति जाटव निवासी ग्राम केसरियापुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।
70. किशनलाल पुत्र गोधना जाति जाटव निवासी ग्राम कुदिन्ना तहसील बाडी ।
71. प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाडी।
72. प्रबंधक भूमि विकास बैंक शाखा बाडी।
73. राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित व विकास लिमिटेड प्रकोष्ठ, धौलपुर।
74. प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा धूलकोट रोड, धौलपुर।
75. प्रबंधक हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक शाखा धौलपुर।
76. प्रबंधक एसबीआई बैंक शाखां गढी सुक्खा।
77. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी बाडी दिनांक 12.02.2020 उनवानी कुम्हेर सिंह बनाम केदार मु0न0 32/2019

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री निशान्त भार्गव उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सुरेश श्रीवास्तव उपस्थित

निर्णय दिनांक :– 30.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के आदेश दिनांक 12.02.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 8 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1038,

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

1039, 1034, 1045, 1046, 1052 स्थित ग्राम गुजर्रा कला खुर्द तहसील बाडी जिला धौलपुर में स्थित है। जिस पर वह काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। उपरोक्त आराजी के पूर्व की ओर गॉ आबादी गुजर्रा कला मौजूद है। प्रार्थीगण रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 08 को अपने खेतो से सोहा पहुॅचने के लिये गॉव आबादी से गुजरते हुये पूर्व व उत्तर की ओर स्थित सडक मार्ग से करीब 8 किलोमीटर का सफर तय करना पडता है। जबकि प्रार्थीगण रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 08 की उपरोक्त आराजी पश्चिम दिशा की ओर अप्रार्थीगण अपीलाण्ट/तरतीवी रैस्पो0 संख्या 09 लगायत 70 के खेतो में से पैदल का रास्ता है जो ग्राम पंजूपूरा से ग्राम गामरी को जाने वाले रास्ते को जोडता है। जिससे प्रार्थीगण रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 08 को अपने खेतो से सोहा पहुॅचने के लिये मात्र 1.5 किलोमीटर का सफर ही तय करना पडता है। परन्तु उपरोक्त रास्ता मैंढ पर होने के कारण ट्रेक्टर, बैलगाडी व चार पहिया वाहन नहीं निकल पाते हैं। जिससे काफी असुविधा होती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त पैदल मार्ग को 30 फुट चौडा रास्ता निकालने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट पर किसी भी सम्मन की तामील नहीं हुयी तथा ना ही उन्हें कोई सूचना दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.11.2019 में प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 24 व 51 की तलवी मानते हुये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में कोई वकालतनामा प्रस्तुत नहीं हुआ है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में असल रैस्पो0 स्वयं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना कथन करते हैं। परन्तु उसे लम्बा बताते हैं। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधान वहॉ पर लागू होते हैं जहॉ खातेदार को कृषि भूमि पर आने जाने हेतु कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं हो। प्रकरण में असल रैस्पो0 ने अपनी खातेदारी की आराजी के लिये रास्ता की मॉग ना करते हुये सोहा जाने के लिये रास्ता की मॉग की गयी है। अतः सुविधानुसार रास्ता नहीं दिया जा सकता है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बाडी से मौका रिपोर्ट तलव की गयी है। उपरोक्त मौका रिपोर्ट किन–किन व्यक्तियो की उपस्थिति में बनी तथा उक्त मौका रिपार्ट को बनाने से पूर्व मौका निरीक्षण हेतु तहसीलदार बाडी द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि संशोधित आदेश हेतु प्रार्थना पत्र जो दिया गया है। उसमें ना तो पीठासीन अधिकारी की मार्किंग है ना ही पेशगार की एवं ना ही किस दिनांक को दिया गया है, ही अंकित है। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलाधीन आदेश में जो संशोधन हुआ है। उस पर भी दिनांक अंकित नहीं है एवं आदेशिका पर दिनांक 19.01.2020 अंकित है। जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2020 का है। इस प्रकार अधीनस्थ

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

न्यायालय का निर्णय विधिवत नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2016(1) पेज 649, 2017(1) पेज 423 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पूर्ण सुनवाई का अवसर मिला है। अपीलाण्ट के जिन्होनें सम्मन लिये हैं वह उनके खास भाई हैं एवं प्रकरण में पक्षकार मुकदमा भी हैं। प्रार्थना पत्र से जो संशोधन हुआ है। उसमें दिनांक 19.01.2020 सहवन से दर्ज हो गयी है। मौका रिपोर्ट में स्पष्ट है कि पूर्व से रास्ता चालू है। केवल ट्रेक्टर आदि नहीं निकल सकते हैं। इसलिये उक्त रास्ता को चौडा करने की मॉग की गयी है। अतः अपीलाण्ट की सारी आपत्तियॉ निराधार हैं। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2016(1) पेज 649, 2017(1) पेज 427 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट का प्रमुखता से यह कथन रहा है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं मिला एवं मौके पर पूर्व से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। हमने गौर किया। अपीलाण्ट संख्या 01 पप्पू के सम्मन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनका सम्मन उनके द्वारा नहीं लिया जाकर किसी अन्य व्यक्ति तिलक सिंह द्वारा लिया गया है। इसके अलावा पप्पू सिंह के हस्ताक्षर किसी भी वकालतनामा पर नहीं है। जहॉ तक अपीलाण्ट संख्या 02 की तामील का प्रश्न है। अपीलाण्ट संख्या 02 के वकालतनामा पर हस्ताक्षर अंकित हैं एवं सम्मन भी स्वयं उनके द्वारा ही प्राप्त किया गया है। इसके अलावा प्रकरण में खसरा नम्बर दुरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में खसरा नम्बर की दुरूस्ती की गयी है। परन्तु उक्त दुरूस्ती आदेशो पर दिनांक 19.01.2020 अंकित की गयी है। जबकि अपीलाधीन आदेश 12.02.2020 का है, जो विरोधाभाषी है। इसके अलावा दुरूस्ती के प्रार्थना पत्र एवं अपीलाधीन आदेश पर कोई दुरूस्ती बाबत् आदेश की दिनांक अंकित नहीं हैं। इसके अलावा हम अपीलाण्ट की यह आपत्ति की प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। बाबजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है, को अनदेखा नहीं कर सकते। रैस्पो0 ने अपने दावे की मद संख्या 2 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रार्थीगण रैस्पो0 के खेतो से सौंहा पहुॅचने के लिये गॉव आबादी से गुजरते हुये पूर्व व उत्तर की ओर स्थित सडक मार्ग है। परन्तु करीब 8 किलामीटर का सफर तय करना पडता है। इसके अलावा प्रार्थी/रैस्पो0 द्वारा अपने खेतो पर जाने के लिये रास्ते की मॉग ना करते हुये, अपने खेतो से सौंहा पहुॅचने के लिये रास्ता मॉगा गया है, जो यह आभास कराता है कि प्रार्थी/रैस्पो0 अपनी सुविधा के लिये रास्ते की मॉग कर रहे हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए **"अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना"** अन्तर्गत किसी भू–धारक को मार्गाधिकार, की आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है; और अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हो, की स्थिति में ही प्राप्त हो सकेगा। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उपरोक्त बिन्दुओं बाबत् कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

परीक्षण नहीं किया है, एवं ना ही रास्ते हेतु आत्यंतिक आवश्यकता अथवा वैकल्पिक रास्ते बाबत् कोई विवेचना ही अपीलाधीन आदेश में अंकित की गई है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय दिनांक 12.02.2020 अपास्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये एवं प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में दिये गये निर्देशानुसार वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध करते हुये पुनः विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.11.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर